Annuxure-I

FORM-I

(For Linear Projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Banswara

No. F-4(2) राजस्व/2018/270 Dated : 8/3/19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' in short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013, 5th July 2013 and 15th Jan 2014 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.9003 Hectare of forest land proposed to be diverted in favour of **RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD (RRVPNL)**, for construction of **132 KV D/C LILO from 132 KV S/C Bagidora-Mahi PH2 line to 132 KV GSS Chordi, Distt Banswara** (Purpose for diversion of forest land) Bagidora forest range and Banswara forest division of Banswara District falls within jurisdiction of Gram Panchayat Tandi Nani village Bakaner, Khasara No. 101 & 125 (0.405 Hectare) and Gram Panchayat Khuta Machar Village Lilwani, Khasara No. 1/375, 2/376, 2/379, 6/380, 6, 7, 13/411, 13, 14 (1.4953 Hectare), total 1.9003 Hectare in Tehsil Gangar Talai & Bagidora, District Banswara of Rajasthan State.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.9003 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s): Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Sub Officer, Banswara and Deputy Conservator of Forest, Banswara have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Enclosed :- As above

District Collector,
Banswara

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

-:: बैठक कार्यवाही विवरण ::-

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, बांसवाड़ा की बैठक आज दिनांक 01-03-2019 को अपरान्ह 03.00 बजे जिला कलक्टर सभाकक्ष में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण एवं मनोनीत सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. उपवन संरक्षक, बांसवाड़ा।
2. परियोजना अधिकारी जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा।
3. श्री मानसिंह जि. पं.स. मु. गागरवा पो. घोडी तेजपुर तहसील छोटी सरवन।
4. श्री उदयलाल जि. प. स. मु. मदनपुरा पो. भोयर तहसील गनोड़ा।

बैठक में निम्न प्रयोजनार्थ वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु उपखण्ड़ स्तरीय समिति घाटोल तथा बागीदौरा जिला बांसवाड़ा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुशंषा की जाने हेतु निम्नानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये :-

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रयोजन
1	बागीदौरा गांगडतलाई	लीलवानी बाकानेर	1/375, 2/376, 2/379, 6/380, 6, 7, 13/411, 13, 14 101, 125	1.9003 हैक्टेयर	132 के.वी. जी एस.एस. चौरड़ी के लिए डबल सर्किट लीलो लाईन हेतु भूमि का प्रत्यावर्तन
2	घाटोल	जगपुरा	1545	2.00 हैक्टेयर	माही परियोजना के अन्तर्गत वन ,खण्ड उमरझला से जगपुरा वितरिका के निर्माण हेतु भूमि का प्रत्यावर्तन

इसी प्रकार बैठक में उपखण्ड स्तरीय की अनुशंषा एवं उपवन संरक्षक बांसवाड़ा से परीक्षण उपरान्त वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के तहत् प्राप्त उपखण्ड बागीदौरा के 17 बांसवाड़ा 23 एवं घाटोल के २१ सामुदायिक दावें इस प्रकार कुल ६१ सामुदायिक एवं सज्जनगढ़ के 57 एकल दावों में हक पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा परीक्षण उपरान्त कमी-पेशी होने से कुशलगढ़ के 30 एवं गढ़ी के 02 तथा घाटोल के 17 बांसवाड़ा का 13 इस प्रकार कुल ६२ सामुदायिक दावें तथा उपखण्ड घाटोल के 13 एवं बांसवाड़ा 01 तथा आनन्दपुरी के 08 एकल दावा इस प्रकार कुल 22 एकल दावें वापस उपखण्ड स्तरीय समिति को भिजवाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उपखण्ड़ स्तरीय समिति घाटोल एवं बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार तहसील घाटोल के ग्राम जगपुरा के आराजी नम्बर 1545 रकबा 2.00 हैक्टेयर माही परियोजना के अन्तर्गत जगपुरा वितरिका के निर्माण हेतु तहसील बागीदौरा के ग्राम लीलवानी के आराजी नम्बर 1/375, 2/376, 2/379, 6/380, 6, 7, 13/411, 13, 14 तथा तहसील गांगडतलाई के ग्राम बाकानेर के आराजी नम्बर 101, 125 में से रकबा 1.9003 हैक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन कर प्रमाण-पत्र जारी करने एवं उक्तानुसार कुल ६१ सामुदायिक तथा 57 एकल दावों में वनाधिकार हक पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

उपवन संरक्षक
बांसवाड़ा

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग,
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

मानसिंह
मनोनीत सदस्य

उदयलाल
मनोनीत सदस्य

Rev-2019 work (Rajkumar) - 211

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राजस्थान)

पता : कलेक्ट्रेट बांसवाड़ा (327001)
Ph. No. : (02962) 242968 & 240945 (Fax) 240002
E-mail ID : rajban@nic.in (NIC)
bsw.center03@gmail.com (Collectorate)

क्रमांक :– एफ 4 (2) राजस्व/वनाधिकार/2016/ 263 दिनांक :– 7-3-19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उपवन संरक्षक, बांसवाड़ा।
2. उपखण्ड अधिकारी घाटोल/गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
3. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग बांसवाड़ा।
4. अधिशासी अभियंता, भवन एवं दायी मुख्य नहर खण्ड माही परियोजना, बांसवाड़ा।
5. श्री मानसिंह जि. पं.स. मु. गागरवा पो. घोडी तेजपुर तहसील छोटी सरवन।
6. श्री उदयलाल जि. प. स. मु. मदनपुरा पो. भोयर तहसील गनोड़ा।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपखण्ड़ अधिकारी बागीदौरा, जिलाः– बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक / राजस्व / 2019 / 113 दिनांक :– 19-2-2019

प्रेषित :–

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,

बाँसवाड़ा।

विषय :– 132 केवी जीएसएस, चौरड़ी के लिए 132 केवी डबल सर्किट लीलो लाईन के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु उपखण्ड़ स्तरीय कमेटी की बैठक कार्यवाही भिजवाने बाबत्।

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक एफ 4 (1) राजस्व / 2019 / 11 दिनांक 02.01.2019 के संदर्भ में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र की अनुपालना में निवेदन है कि 132 केवी जीएसएस, चौरड़ी के लिए 132 केवी डबल सर्किट लीलो लाईन हेतु उपखण्ड़ कार्यालय अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में बैठक का आयोजन दिनांक 18/2/19 को किया गया जिसकी बैठक कार्यवाही श्रीमान्जी की सेवा में इस पत्र के साथ सलंग्न कर भिजवाई जा रही हैं।

उपखण्ड़ अधिकारी
बागीदौरा

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा, जिलाः– बाँसवाड़ा (राज.)

बैठक–वनाधिकार / ....   दिनांक :– 18-2-2019

उपखण्ड स्तरीय बैठक

आज दिनांक ...18/2/19........ को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागीदौरा की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नांकित उपस्थित हुए :–

क्र.सं.	नाम सदस्यगण	हस्ताक्षर	मोबाईल नम्बर	वि.वि.
1	विकास अधिकारी बागीदौरा	[signature]	9950656667	
2	विकास अधिकारी गांगडतलाई	[signature]	9950490183	
3	क्षैत्रीय वन अधिकारी, बागीदौरा	[signature]	9001959164	
4	पंचायत समिति सदस्य पं. स. बागीदौरा	[signature]	8290709631	
5	पंचायत समिति सदस्य पं. स. गांगड़तलाई	[signature]	9828155924	

श्रीमान जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा के पत्र क्रमांक एफ 4 (1) राजस्व/2019/11 दिनांक 02.01.2019 की अनुपालना में बैठक का आयोजन किया गया। 132 केवी डबल सर्किट लीलो चौरड़ी लाईन लोकेशन नं. 41 सं 45 जो कि वन भूमि के अन्तर्गत आती है, वह ग्राम लीलवानी के खसरा नं. 1/375, 2/376, 2/379, 6/380, 6, 7, 13/411, 13, 14 तथा ग्राम बाकानेर के खसरा नं. 101, 125 से होकर गुजरेगी जो कि वन विभाग के वनखण्ड धुलियागढ़ पंचाल 'A' एवं राखो देवी लीलवानी 'B' के अन्तर्गत आती है। उपरोक्त वनखण्ड के कुल क्षैत्रफल 1.9000 हैक्टेयर भूमि पर इस लाईन का कार्य करवाया जाना है।

उक्त प्रकरण में 132 केवी डबल सर्किट लीलो चौरड़ी लाईन के निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में रखा गया, जिसमें समिति को कोई आपत्ति नहीं है। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति को 132 केवी डबल सर्किट लीलो चौरड़ी लाईन हेतु लोकेशन नं. 41 से 45 के निर्माण हेतु स्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत है एवं अनुशंषा करती है।

विकास अधिकारी बागीदौरा | विकास अधिकारी गांगडतलाई | क्षैत्रीय वन अधिकारी बागीदौरा | उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

कार्यालय पंचायत समिति गांगडतलाई जिला–बांसवाडा (राज.)

क्रमांक–पंसगा. / 18–19 / 122 दिनांक– 8/02/019

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा

विषय :–ग्राम पंचायत टाण्डी नानी में अनापति प्रमाण के क्रम में।

महोदयजी

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 132 के वी विधुत राजस्थान राज्य विधुत के निर्माण के सम्बन्ध ग्राम पंचायत टाण्डी नानी कि ग्राम सभा दिनांक 26.01.2019 को 132 केवी लिलो चोरडी लाईन निर्माण हेतु प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित किया गया निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत को कोई आपति नही है। आगे ग्राम पंचायत टाण्डी नानी से प्राप्त अनापति प्रमाण श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।

8/2

विकास अधिकारी
पंचायत समिति गॉगडतलाई

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय ग्राम पंचायत टाण्डी नानी

पंचायत समिति गांगड़तलाई जिला बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : दिनांक : 26/01/2019

आनापत्ति प्रमाण पत्र

सेवामें

श्रीमान विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति गांगड़तलाई जिला बांसवाड़ा

विषय :- 132 केवी लीलो चौरडी लाईन From existing 132 KV S/C Banswara - Mahi Ph-2 के 132 KV GSS Chordi) के निर्माण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को ग्राम वाकानेर में सम्बधीत वन भूमि प्रत्यावर्तन के सदर्भ में

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा (बांसवाड़ा) के पत्रांक सं. राजस्व/2019/26 दिनांक 08-01-2019 के पालनार्थ

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम मे निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से 132 के वी लीलो-चौरडी लाईन (From existing 132 KV S/C Banswara - Mahi Ph2 से 132 KV G.SS Chordi के निर्माण के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 26-1-2019 को ग्राम सभा आयोजित की गई जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त विद्युत लाईन के निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तथा उक्त वन भूमि के सम्बध में कोई दावा लम्बित नहीं है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत टाण्डी नानी
पं.स.गांगड़तलाई, जि.बांसवाड़ा

सरपंच
ग्राम पंचायत टाण्डी नानी

Scanned by CamScanner

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

आज दिनांक 26/01/2019 को अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत डाण्डीनाली पर श्रीमति नाली देवी गरासिया सरपंच महोदया की अध्यक्षता मे राज्य सरकार के निर्देशानुसार प० स० गांगडतलाई के आदेश/क्रमांक- पसगा/स्था/2018-19/69 दिनांक 22/1/2019 के आदेश अनुसार ग्राम सभा का आयोजन रखा गया जिसमे ग्राम पंचायत के नागरिक व वार्ड पंच सभी ग्राम सभा मे भाग लिया और ग्राम सभा के आदेश अनुसार 26 जनवरी को होने वाली ग्राम सभा मे शासन सचिव महोदया खाद्य एवं नागरिक आपुर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 13(11) खा.वि/आवटन/सा.ओ/2018 जयपुर दिनांक 17.01.2019 के प्रसंग मे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 28 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 857/2005 स्वराज अभियान बनाम युनियन आफ इंडिया अन्तर्गत जारी ~~[illegible]~~ दिशा निर्देशो की पालना मे उचित मुल्य दुकानो एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के सम्बन्ध मे 26 जनवरी 2019 को आयोज्य ग्राम सभा मे सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम खाद्यान की वितरण मात्रा वितरण किये जाने वाले खाद्यान की दर तथा चयन की शर्ते पढकर सुनाया गया

प० करीबन 250-300 परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित है

प्रस्ताव संख्या (2) = ग्राम सभा की आयोजन मे 132 केवी लीलो चोरडी लाईन के निर्माण कार्य के दौरान आने वाले वन क्षेत्र मे उक्त लाईन ग्राम पंचायत डाण्डीनाली के ग्राम बावलातेर के निम्न खसरा नम्बर से गुजर रही है। बावलातेर (1) खसरा नं० 101 लम्बाई 95 मी. चोडाई 27 मी० (2) खसरा न. 125 लम्बाई 55 मी. चोडाई 27 मी. अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं 2008 तथा संशोधन नियम 2013 के अन्तर्गत ग्रा०प. स्तरीय वन अधिकार समिति मे उचित वन भूमि के सम्बन्ध मे कोई दावा लम्बित नही होने के कारण ग्रा प० डाण्डीनाली ग्राम बावलातेर को उक्त सम्बन्धित कार्य से कोई आपत्ति नहीं है।

ग्रा० प० म० नि० डाण्डीनाली [signature]

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत डाण्डीनाली
पं.स. गांगडतलाई, जि. बांसवाड़ा

कोदरी, सोहन, दिनेश, कुरल, भावजी, वालजी, रोडजी, लक्ष्मण, नानी

Scanned by CamScanner

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

चार दिवारी ऊंची करने का प्रस्ताव लिया
तथा कालिका शौचालय मूत्रालय के प्रस्ताव भी लिये

स्वास्थ्य केन्द्र ढाण्डी नाली पर शौचालय के
लिए प्रस्ताव लिया गया

ढाण्डी मोथी आंगनबाडी पर
शौचालय निर्माण के लिए प्रस्ताव लिया
गया।

ढाण्डी मोथी मे उचित मूल्य की दूकान
पर हैण्डपम्प निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत छपरीवाली
पं.स.गांगड़तलाई, जि.बांसवाड़ा

सरपंच
ग्राम पंचायत

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

कार्यालय पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक पसबा / राजस्व / 2018–19 / 127 दिनांक :– 6.2.19

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
उपखण्ड कार्यालय बागीदौरा।

विषयः– ग्राम पंचायत खूंटामछार अनापत्ति प्रमाण पत्र भिजवाने के क्रम में।
सन्दर्भः– आप कार्यालय पत्र क्रमांक राजस्व / 2019 / 26 दिनांक 08.01.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रांसगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि ग्राम पंचायत खूंटामछार के ग्राम लिलवानी में सम्बन्धित वन भूमि प्रत्यार्वतन 132 K.V निर्माण का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान् की सेवामें प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति बागीदौरा

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय ग्राम पंचायत खुंटा मछार

पंचायत समिति बागीदौरा जिला बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक: 62

दिनांक : 22 / 01 / 2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमान विकास अधिकारी महोदय जी
प. स. बागीदौरा जिला बांसवाड़ा

विषय: 132 के.वी. लीलो चौरड़ी लाईन (from existing 132 KV S/C Banswara - Mahi PH-2 to 132 KV GSS Chordi) के निर्माण हेतु राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को ग्राम लीलवानी में प्रस्तावित वन भूमि उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ: श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा (बांसवाड़ा) के पत्रांक स. राजस्व/126 दिनांक 08/01/2019 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके के माध्यम से 132 के.वी. लीलो चौरड़ी लाईन (from existing 132 Banswara - Mahi PH-2 to 132 KV GSS Chordi) के निर्माण के अन्तर्गत दिनांक 19/1/2019 को ग्राम सभा आयोजित की गई। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त विद्युत लाइन के निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नहीं है।

अतः उक्त निर्माण कार्य का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

सरपंच
ग्राम पंचायत खुंटा मछार

ग्राम-विकास-अधिकारी
ग्रा.प.खुंटामछार पं.स.
बागीदौरा जि. बांसवाड़ा

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

ग्राम खुरमखार .... पंच .... कुशलगढ़ .... जिला बांसवाड़ा (राज.) वर्ष 2019

बैठक की तारीख	बैठक का स्थान	अध्यक्ष / सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियां	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
19/11/2019	आंगनबाड़ी केन्द्र खुरमखार	श्री पुनीलालजी ग्रामसेवक प.स.स.		आज दिनांक 19/11/2019 को आदेश क्रमांक 03/11/19 के तहत कार्यालय पं. सं. कुशलगढ़ के आदेशानुसार आज ग्रा. प. खुरमखार में ग्रा. सभा का आयोजन रखा गया है श्रीमान सरपंच सा. श्री पुनीलालजी की अध्यक्षता में ग्राम सभा रखी गयी बैठक में समस्त विभागों के कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित हुए सर्वप्रथम सरपंच सा. द्वारा बैठक में ग्रामीणों का अभिवादन किया गया पिछली ग्राम का वाचन किया गया आज की ग्राम की अग्रिम कार्यवाही चर्चा कि गयी।	[signatures]
			पटवारी पशुपालन विभाग	(1) प्रस्ताव – आज की ग्राम सभा मे मतदाता की सूची पढ़कर सुनाया गया जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने वाले का नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र (6) मृत्यु एवं शादी होने पर इन नामों को हटाने हेतु एवं गलत नाम होने उनकी शुद्धिकरण का आवेदन भर कर देना है।	[signatures]
			प्रधानाध्यापक पंचायत सहायक	(2) प्रस्ताव – ग्राम सभा में पालनहार की सूची पढ़कर सुनायी गयी जिनके नये आवेदन करना है कुछ गाइड पर दुविकरण की सही करना बच्चों का अध्ययन रत प्रमाण पत्र लाना एवं पालनहार की बैंक खाता नम्बर एवं IFSC कोड नम्बर की प्रतिलिपि देना है।	[signatures]
				(3) प्रस्ताव – ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के तीनों राजस्व गांव खुरमखार, सिलवानी, लालावाड़ा की तीनों गांव की पेंशन सूची पढ़कर ग्राम सभा में वाचन किया गया। साथ जिनके महिला की उम्र 55 वर्ष एवं पुरुष की उम्र 58 वर्ष पूर्ण होने पर पेंशन का आवेदन सभी ग्रामीणों को एवं कर्मचारी को प्रेरित करने को बताया गया साथ ही विधवा पेंशन के आवेदन करने का कहा गया।	[signatures]
				(4) ग्राम सभा में – सभी ग्रामीणों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया गया शौचालय जिनके बन गये हैं उनके आवेदन तैयार कर शौचालय भुगतान जल्दी करने के लिए प्रस्ताव लिया गया	[signatures]
				(5) ग्राम सभा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी में सभी कामों को जल्दी पूर्ण कराना	[signatures]

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

खुरमघाट .... पंच .... काणीदोटा .... जिला .... कांकरोली (राज.) वर्ष 2019.

बैठक का स्थान	अध्यक्ष / सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4 / 5	6

(6) आज दिनांक 18/1/19 को श्री पूनीलाल जी ग्राम नायक खुरमघाट की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें प्रस्ताव रखा गया कि 132 के.वी. लाइन चोरड़ी आदि के निर्माण कार्य के दौरान आने वाले वन क्षेत्र गोचर लेकिन ग्राम पंचायत खुरमघाट के किन नम्बरों में से गुजर रही है

		खसरा नं.	लम्बाई मी.	चौड़ाई मी.
1	लीलवाणी	375	8	27
	लीलवाणी	376	20	27
	लीलवाणी	377	32	27
	लीलवाणी	[illegible]	32	27
	लीलवाणी	6	124	27
	लीलवाणी	7	92	27
	लीलवाणी	13	144.5	27
	लीलवाणी	14	49.0	27

कुल 552.8 × 27 = 14925.6 वर्गमीटर 1.4925 हैक्टेयर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तरीय वन अधिकार समिति के कथित वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत खुरमघाट को उक्त सम्बन्धित कार्य से कोई आपत्ति नहीं है उपरोक्त अधिकार स्वामित्व [illegible] के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

अध्यक्ष वन अधिकार समिति .... सचिव .... सरपंच

(1) नारजी / पूजा खुरमघाट
(2) चोखा / लोगा
(3) लालजी / हेमाजी
(4) लेखा / [illegible] लिलवाणी
(5) [illegible] / [illegible] लिलवाणी
(6) [illegible] / [illegible] लिलवाणी
(7) जीतमल / सोमाजी लिलवाणी
(8) [illegible] पि. रतना लिलवाणी

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner